न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2022(2022/85)

1 धीसा पुत्र श्री छीतर माली।
2 भैरा पुत्र मूलाराम जाति माली।
3 नन्दसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह जाति राजपूत।
4 मनोहरसिंह पुत्र श्री मोहरसिंह जाति राजपूत।
5 हरजी पुत्र मूला जाति माली।
6 कन्हैयालाल पुत्र सोहनलाल जाति ब्राम्हण
7 पन्नालाल पुत्र मदनलाल जाति ब्राम्हण।
8 गणेशसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह जाति राजपूत।
9 बनवारीसिंह उर्फ बलवीरसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत।
10 बनवारीसिंह उर्फ बलवीरसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत

तमाम निवासीगण ग्राम घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर।

बनाम

1 सुरेश पुत्र श्री दशरथ जाति ब्राम्हण निवासी कालेडाकंवर जी तहसील सावर जिला अजमेर।
2 धीसालाल पुत्र श्री कल्याण।
3 इलामी पुत्री श्री कल्याण।

तमाम जाति माली निवासी ग्राम घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर।

4. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब सावर जिला अजमेर।

उपस्थित:—

श्री घनश्याम वैष्णव — वकील प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार(जरीये तहसीलदार केकडी) — अप्रार्थी संख्या 4

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णय:—

दिनांक 27.7.2022

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के सक्षप में विवरण निम्न प्रकार है:—

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम कर निवेदन किया यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी ग्राम घटियाली तहसील सावर की आराजीयात निम्नानुसार है।

खाता सख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
221—313	2758	0.37	चाही 3
	2759	0.02	गै.मु.चाहै
	2795	0.32	चाही 2 जाव 2
	किता 3	रकबा 0.71	
657—349	2749	0.17	चाही 1
	किता 1	रकबा 0.17	
735—1013	2706	0.22	चाही 2 जाव 2
	किता 1	रकबा 0.22	
648—1013	2750	0.22	चाही 2 जाव 2
	किता 1	रकबा 0.22	
658—349	2705	0.11	चाही 1 जाव 1
	2723	0.09	चाही 1
	किता 2	रकबा 0.20	
973—863	2747	0.02	गै.मु.चाह

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

	2748	0.24	चाही 1
	2751	0.11	चाही [illegible] जाव 1
	2752	0.11	चाही 1 जाव 1
	2828	0.22	चाही 1 जाव 1
	2878	0.39	बारानी 1
	4120	0.93	बारानी उत्तम
	4766	0.32	बारानी 1
	4769	0.32	बारानी 1
	4770	0.40	बारानी 1
	4771	0.05	बारानी 1
	किता 12	रकबा 3.38हैक्टर	
1037 - 1383	2741	0.02	गै.मु.चाह
	2757	0.02	गै.मु.चाह
	किता 2	रकबा 0.04	
1038 1384	2707	0.47	चाही 2 जाव 2
	2753	0.30	बारानी 1
	2754	0.19	चाही 2 जाव 2
	2756	0.42	चाही 2 जाव 2
	5035	1.63	बारानी उत्तम
	5036	0.30	बारानी उत्तम
	किता 6	रकबा 3.31	

उपरोक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज चली आ रही है तथा आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जा काश्त स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही है तथा प्रार्थी अपनी आराजी को काश्त कर फसल प्राप्त करता चला आ रहा है अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नबर 2771, 2770, 2744 से होकर चाहा गया गया। प्रार्थीगण संलग्न नजरी नक्शा मे लाल स्याही से दर्शित रस्ता ए से बी मे से होकर जाता है उक्त रास्ता प्रार्थीगण की आराजीयात मे आने जाने एक मात्र रास्ता है जिसका उपयोग प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से ही लेते चले आ रहे है तथा इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपने खेत पर जाने हेतु बैल, गाडी, मवेशी लाते ले जाते है प्रार्थीगण कदीम से ही रास्ता पैरा संख्या 3 में वर्णित आराजीयात मे से संलग्न नजरी नक्शा मे लाल स्याही से दर्शित रास्ता ए से बी में से होकर जाता है अपनी आराजीयात में आने जाने के उपयोग मे लेते चले आ रही है अप्रार्थी संख्या 4 के समक्ष उक्त रास्ता पैरा संख्या 3 में वर्णित आराजीयात मे से संलग्न नजरी नक्शा मे लाल स्याही से दर्शित रास्ता ए से बी में से होकर रास्ता देने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 [redacted] ने रास्ता देने से मन कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थीगण को प्रार्थी को अपनी खातेदारी की आराजी पर आने जाने से रोकने का कोई हक अधिकार नही है। प्रार्थी अपने खेत पर आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या 4 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु अप्रार्थी संख्या 4 ने कहा कि कोर्ट आदेश लेकर आओ। अतः वाद वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण को पैरा संख्या 3 में वर्णित आराजीयात में से सलग्न नजरी नक्शा मे लाल स्याही से दर्शित रास्ता ए से बी में से होकर 20 फीट चौडा रास्ता आने जाने हेतु उपलब्ध कराया जावे, जिस हेतु अप्रार्थी संख्या 4 का आदेश दिया जावे कि पैरा संख्या 3 में वर्णित आराजी पर आने जाने हेतु 20 फीट चौडे आम रास्ते को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कर नक्शा ट्रेस मे तरमीम किया जावे। उक्त 20 फीट चौडे आम रास्ते हेतु खर्चा प्रार्थीगण अदा करने हेतु तैयार एवं तत्पर है जिस हेतु निर्णय कर डिकरी किये जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा मौका रिपोर्ट पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब निम्नानुसार है:–

प्रार्थनापत्र का पैरा संख्या 1 प्रार्थीगण स्वयं सिद्व करे। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 2 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है प्रार्थीगण स्वयं सिद्व करे। प्रार्थनापत्र का पैरा संख्या 3 राजस्व रिकोर्ड से सम्बधित है। प्रार्थनापत्र का पैरा संख्या 4 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है प्रार्थनापत्र का पैरा संख्या 5 के उत्तर मे निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने जाने हेतु अन्यत्र रास्ता है अप्रार्थीगण की आराजीयात में से होकर रास्ता नही है प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 6 व 8 अस्वीकार है प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 7 प्रार्थीगण स्वय सिद्व करे। वादीगण द्वारा अतिरिक्त कथन प्रार्थीगण की आराजीयात

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

पर आने जाने का रास्ता इनके खेतो के नीचे पूर्वी दिशा से होकर है जिससे प्रार्थीगण आते जाते रहे है तथा आज भी आते जाते है अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण का किसी प्रकार से कोई रास्ता अवरूद्ध नही किया गया है तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को 5 फीट का रास्ता दे रखा है तथा 5 फीट का रास्ता अप्रार्थीगण के पडौसी द्वारा दिया हुआ है अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार का रास्ता अवरूद्ध नही किया बल्कि पडौसी ममाराम पुत्र सुन्दरा माली वगैरह ने रास्ता अवरूद्ध कर रखा है अप्रार्थीगण रास्ता देने के लिए तैयार है तथा 5 फीट रास्ता हमारी तरफ से दे रखा है व 5 फीट का रास्ता खसरा नंबर 2726, 2727, 2731 [illegible] में से प्रार्थीगण को रास्ता दिलाया जाना है अप्रार्थीगण व ममाराम पुत्र सुन्दरा वगैरह की [illegible] अप्रार्थीगण रास्ता देने को तैयार है जिस हेतु अप्रार्थीगण 5 फीट भूमि रास्ते हेतु देने को तैयार है अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता हेतु जितनी जमीन दी जाती है उतनी ही जमीन प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मे से अप्रार्थीगण को दिलवाया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण की आराजीयात मे से 5 फीट भूमि रास्ते हेतु छोड रखी है लेकिन ओंकार पुत्र माधु व ममाराम पुत्र सुन्दरा माली वगैरह ने रास्ते हेतु छोडी गयी भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध कर रखा है जिससे प्रार्थीगण को कोई रास्ता [illegible] सरकार नहीं है अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही होकर खारिज होने योग्य है।

पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब/मौका रिपोर्ट पेश कि जो निम्नानुसार है:–

ग्राम घटियाली के आराजी खसरा नंबर 2747, 2748, 2752 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है आराजी खसरा नंबर [illegible] 0.05, 2770 रकबा 0.19 व 2744 रकबा 0.61 मे से कमश 2771 मे से 0.006हैक्टर 2770 मे से 0.03हैक्टर व 2744 मे से 0.04हैक्टर खातेदारी मे रास्ता प्रस्तावित किया गया जिसमे प्रार्थीगण के खेत से निकटतम दूरी पर आराजी खसरा नंबर 2777 गै.मु.रास्ता गुजरता है प्रार्थीगण को आराजी खसरा नंबर 2771 रकबा 0.006हैक्टर, 2770 रकबा 0.03हैक्टर 2744 मे से रकबा 0.04 किता 3 रकबा 0.0760 हैक्टर की डी.एल.सी दर 242870 के अनुसार उक्त रास्ते की लागत 18458 रूपये का दुगुना 36916रूपये होती है। पक्षकारा प्रतिकर आपस मे रकम पर सहमत नही है न ही जमीन के बदले जमीन देने पर सहमत नही है। कोई वैकल्पिक रास्ता नही है, रास्ता दिया जाना उचित है।

दरवक्त सुनवाई प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकारी करने हेतु निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एवं मौका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2747, 2752, 2748 पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 2771, 2770, 2744, जो निकटतम रास्ता जो मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित नजरी नक्शा मे लाल स्याही से अंकन है निकटतम प्रतित होता है अतः विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की आराजी ग्राम घटियाली खसरा नंबर 2747, 2752, 2748 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2771, 2770, 2744 मे से होकर जाता है अप्रार्थीगण सहमत नही है प्रार्थीगण को खातेदारी खसरा नंबर 2747, 2752, 2748 पर [illegible] के खातेदारी खसरा नंबर 2771, 2770, 2744 में से आने जाने हेतु आवेदित प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 2771 रकबा 0.006हैक्टर, 2770 रकबा 0.03हैक्टर 2744 मे से रकबा 0.04 किता 3 रकबा 0.0760 हैक्टर की डी.एल.सी दर 242870 के अनुसार उक्त रास्ते की लागत 18458 रूपये का दुगुना 36916रूपये बनती है। उक्त राशि अप्रार्थीगण को भुगतान करने के पश्चात उक्त आराजी खसरा नंबर 2771, 2770, 2744 मे मौका रिपोर्ट अनुसार सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार सावर द्वारा प्रार्थीगण से उक्त रास्ते मे उपयोग में आयी भूमि की नियमानुसार की नियमानुसार वर्तमान डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि 36916/–रूपये बनी(मौका रिपोर्ट अनुसार) राशि प्रार्थीगण से वसूल कर अप्रार्थीगण को जरिये सूचित करा राशि उपलब्ध करावे, अप्रार्थीगण द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष मे जमा करवायी जाकर ग्राम घटियाली के खसरा संख्या 2747, 2752, 2748 में आने जाने के लिए रास्ता मौके पर्चे मे वर्णितानुसार एवं नक्शाट्रेस में दर्शाये अनुसार रास्ते के रूप में दर्ज एवं तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकैन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Scanned with CamScanner